स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2006

सा. का. नि. 79.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रतिरूपकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (प्रतिरूपकार) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
प्रतिरूपकार	1* (एक) (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत	नहीं।

6
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला और शिल्प में स्नातक डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट; और ललित कला और शिल्प में डिप्लोमा मूर्ति का एक वर्ष के अनुभव के साथ। **टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति,प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी
11	12
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी द्वारा एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति, लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थिति में रिक्त रहने पर केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी। (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिसने 4000-6000 रु. के वेतनमान में उस पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) :— 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल —अध्यक्ष 2. संबद्ध विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल —सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 11018/13/2003-आरआर/एच]

बी.बी. बब्बर, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th March, 2006

G.S.R. 79.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Modellar in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi (Modellar) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limt and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Modeller	1*(One) (2006) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted Non-ministerial	Rs. 4500-125-7000	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1 :** The cruicial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakhdweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment exchange is asked to submit the names.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
No	**Essential :** (i) Degree in Fine Arts and Crafts from a recognised University or Institute; or 10+2 from a recognised Board or University; and Diploma in Fine Arts and Crafts with one year experience in sculpture. **Note :** - Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/ deputation/absorption to be made
10	11	12
Two years	Direct Recruitment. **Note** : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or Study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government. (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the pay scale of Rs. 4000—6000; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recuits under column 8.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee (for confirmation) : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital —Chairman	Not applicable.

13	14
2. Head of the concerned Department Safdarjung Hospital —Member	
3. Deputy Director (Administration) Safdarjung Hospital —Member	

[F. No. A-12018/13/2003-RR(H)

B. B. Babbar, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सा.का.नि. 80.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड सहायक ड्रिलर-सह-मैकेनिक भर्ती नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ड्रिलर-सह-मैकेनिक भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख पर प्रवत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक ड्रिलर-सह-मैकेनिक भर्ती नियम, 2004 में—

(क) नियम 1 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे अर्थात् :—

"(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ड्रिलर-सह-मैकेनिक भर्ती नियम, 2004 है।";

(ख) अनुसूची में स्तंभ 12 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"**प्रोन्नति :**

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सहायक ड्रिलर-सह-मैकेनिक (4000—6000 रु.) जो नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा की है।"।

[फा. सं. 23/40/98-जीडब्ल्यू-I]

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पण:—*मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक* सा.का.नि. 162 *तारीख* 8 मई, 2004 *द्वारा प्रकाशित* किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 31st March, 2006

G.S.R. 80.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board Assistant Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic recruitment (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board Assistant Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2004—

(a) in rule 1, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2004.";

(b) In the Schedule, for t he existing entries under column 12, the following entries shall be substituted, namely: —

"**Promotion :**

Assistant Driller-cum-Mechanic (Rs. 4000—6000) in the Central Ground Water Board with five years continuous service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.".

[F. No. 23/40/98-GW-I]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 162, dated 8th May, 2004.